क्रम-संख्या–110

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 24 मई, 2016

ज्येष्ठ 3, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–6

संख्या 804पी/छः-पु०-06–2016-300(84)-15

लखनऊ, 24 मई, 2016

अधिसूचना

प0आ0–290

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 02 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गज़ट में प्रकाशित होने के दिनांक से, नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 02 सन् 1974) के उपबन्धों के अधीन ई-पुलिस स्टेशन पर पंजीकृत समस्त मामलों के ई-एफ0आई0आर0 पंजीकरण, संचरण और जाँच के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता से युक्त ई-पुलिस स्टेशन होगा जो पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन होगा।

अनुसूची

पुलिस स्टेशन का नाम व स्थान	ई-पुलिस थाना के अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाला क्षेत्र
(1)	(2)
"ई-पुलिस स्टेशन" उत्तर प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, महानगर, लखनऊ, उ0प्र0।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

उक्त ई-पुलिस स्टेशन–

(एक) उत्तर प्रदेश के मोबाइल एवं वेब अप्लीकेशन या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपराध हेतु इलेक्ट्रानिकली प्राप्त सूचना के आधार पर एफआईआर पंजीकृत करेगा;

(दो) शिकायतकर्ता को डिजिटल हस्ताक्षरित एफआईआर का इलेक्ट्रोनिकल संचरण सुनिश्चित करेगा तथा साथ ही साथ क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, नामित अदालतें, (यदि हों), बीमा कम्पनी (यदि हों) और पुलिस कन्टोल–रूम, उत्तर प्रदेश के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्बन्धित राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग, भारत के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एससीआरबी तथा एनसीआरबी को परिस्थिति व विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रानिकली/अन्य माध्यम से भी सूचना भेजेगा;

(तीन) सम्बन्धित थानाध्यक्ष/पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस स्टेशन अपने स्टाफ के माध्यम से जांच करवाने के लिए स्वतंन्त्र होगा;

(चार) स्थानीय क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा जाचं और कृत कार्यवाही/किये गये प्रयास के लिए विहित प्रारूप में इलेक्ट्रानिक/मैनुवली रूप से केस डायरी तैयार करेगा;

(पांच) अपनी अधिकारिता में ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो विधि के अधीन पुलिस स्टेशन से अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 804P /VI-Pu-06-2016-300(84)-15, dated May 24, 2016 :

No. 804P /VI-Pu-06-2016-300(84)-15
Dated Lucknow, May 24, 2016

IN exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to declare that with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the places specified in Column (1) of the Schedule below shall be the "E-Police Station" having jurisdiction specified in column (2) of the said Schedule in respect of the E-FIR registration, transmission and investigation of all registered cases at E-Police Station under the provisions of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) under the supervision and control of Inspector General of Police, Law & Order, Uttar Pradesh, Lucknow.

SCHEDULE

Name & place of Police Station	Areas falling within the respective Jurisdiction of the E-Police Station
(1)	(2)
"E-Police Station" Uttar Pradesh State Crime Record Bureau, Mahanagar Lucknow, U.P.	The whole of Uttar Pradesh

The said E-Police Station shall :-

(i) register FIR on the basis of electronically received information through mobile and web application or any other electronic means for crime in U.P.

(ii) ensure electronic transmission of digitally signed FIR to the Committed complainant as well as area SHO, designated court if any, insurance company (if available) and also send information electronically/other means to the Police Control Room, all SHOs/SOs UP Police, District SSP/SP, concerned State/Central Government department, all India SSPs, SCRB and NCRB as per situation and existing procedure.

(iii) have the liberty to get investigation conducted through the staff of respective area police station under the supervision of concerned SHO/Dy. SP.

(iv) generate case diaries electronically/manually on the prescribed format for the investigation and the action taken/efforts by the IO/SHO of the local area police station.

(v) exercise any other function in its jurisdiction that is required of a police station under law.

By order,
MANI PRASAD MISHRA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 115 राजपत्र (हि0)–2016–(255)–599+63= 662 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।